Section 89 : Liability of directors of private company

(1) Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where any tax, interest or penalty due from a private company in respect of any supply of goods or services or both for any period cannot be recovered, then, every person who was a director of the private company during such period shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

(2) Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion, then, nothing contained in sub-section (1) shall apply to any person who was a director of such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any personal penalty imposed on such director.

धारा 89 : प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथकतः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति के सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्त्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान माल है या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है, वहां उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।